राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

प.5(1)प्रसु/सम/अनु–1/2018 जयपुर, दिनांक : 30.07.2020

परिपत्र

राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबध में इस विभाग द्वारा जारी समस्त पूर्व परिपत्रों के अतिक्रमण में दिनांक 30 सितम्बर, 2019 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ विभागों द्वारा अपने स्तर पर ही अधिकारियो/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी कर इस विभाग को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भिजवाये जाते है जबकि कुछ विभागों द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन के बिना ही स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये जाते है। **राज्य सरकार के समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरणों पर प्रतिबंध की अवधि में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण यदि अति आवश्यक हो तो परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये, प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमोदित करवा कर ही, स्थानान्तरण आदेश जारी करें।**

यह भी ध्यान में आया है कि कुछ विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा **(ए.पी.ओ.)** में कर तद्उपरांत उन्हे इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन के आदेश जारी किये जाते हैं, जो इस प्रतिबंध की भावना के विपरीत हैं। ऐसा नहीं किया जावे ।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावें। उक्त परिपत्र राज्य के समस्त निगमों/मण्डलों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा।

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्री गण
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. समस्त संभागीय आयुक्त
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग
10. आयुक्त, जन संपर्क विभाग
11. रक्षित पत्रावली

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव